



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243566
CG-DL-E-13022023-243566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]
No. 611]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

का.आ. 640(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5325(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के कि.मी. 45.600 से कि.मी.63.000 (औबेदुल्लागंज - बैतूल खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24 नवम्बर, 2022" को समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" और तारीख "25 नवम्बर, 2022" को समाचार पत्र "दि हितवाद" में प्रकाशित किया गया था ;

और समयावधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के कि.मी. 45.600 से कि.मी. 63.000 (औबेदुल्लागंज-बैतूल खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: होशंगाबाद (नर्मदापुरम)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: इटारसी				
	गांव का नाम: सोमलवाड़ा (खुर्द)				
1	7/1	निजी	सिंचित	0.334	विवेक कुमार, हंसराज पुत्रगण रमेशचंद्र ()
2	8/1	निजी	सिंचित	0.126	ज्योति, सीमा अंकित पुत्र/पुत्रीगण नर्मदाप्रसाद कुर्मी ()
			कुल	0.46	

[फा. सं. NHAI/RO(MP)/Obedulaganj-Betul/LA/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

S.O. 640(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 5325, dated 16th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 69 on the stretch of land from Km. 45.600 to Km. 63.000 (Obedulganj - Betul section) in the district of HOSHANGABAD (Narmadapuram) in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in News Paper “Dainik Bhaskar” dated 24th November, 2022; and News Paper “The Hitavada” dated 25th November, 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And any objections not received within the time limit;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 45.600 to Km. 63.000 (Obedullganj - Betul section) of National Highway No. 69 in the district of HOSHANGABAD (Narmadapuram) in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: HOSHANGABAD(Narmadapuram)		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Itarsi				
	Village: Somalwada (Khurd)				
1	7/1	Private	Irrigated	0.334	Vivek Kumar, Hanshkumar S/o Ramesh Chandra
2	8/1	Private	Irrigated	0.126	Jyoti, Seema, Ankit, S/o D/o Narmadaprasad Kurmi
			TOTAL	0.46	

[F. No. NHAI/RO(MP)/Obedullaganj-Betul/LA/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director